CNR No. UPMH010027142026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–773 / 2026

विनीत सिंह उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र चन्द्रिका सिंह निवासी मौजा बांसपार कोठी, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज।

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–077 / 2026
धारा–419,420,467 बी0एन0एस0
थाना–ठूठीबारी, जिला–महराजगंज।

12–06–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त विनीत सिंह की ओर से अपराध संख्या–077 / 2026 धारा–419, 420, 467 बी0एन0एस0 थाना–ठूठीबारी, जिला–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है न लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अरविन्द कुमार निगम ने दिनांक 01–06–2026 को थाना ठूठीबारी, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि वह ग्राम व पोस्ट ठूठीबारी, जनपद महराजगंज, उ0प्र0 एवं वर्तमान में केन्द्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मन्त्रालय केसीपीडब्लूडी विभाग में ग्रुप बी का कर्मचारी है एवं वर्तमान में फिरोजपुर पंजाब में सीमा हदबन्दी मण्डल में पदस्थ है। उसके साथ धोखाधड़ी का विवरण इस प्रकार है किः– विनीत सिंह उसके बचपन के साथी विनीश सिंह के छोटे भाई हैं जिनको वह वर्ष 2099 से जानता है। विनीत सिंह से उसकी पहली मुलाकात विनीश सिंह के जरिए वर्ष 2019–20 में हुयी थी। विनीत सिंह कुछ समय बाद एक परिवार और छोटे भाई की तरह घुल मिल गये जिससे उनकी बातों पर विश्वास रहता था। विनीत सिंह किसी डाक्टर संतोष सिंह जो बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर सम्भवतः पदस्थ थे। विनीत सिंह और

डाक्टर संतोष सिंह द्वारा 6386000015 मोबाइल नम्बर से उसे 2020–2022 तक कुछ अपनी दिक्कतें बता कर पैसे लिया गया। वर्ष 2021 में विनीत सिंह द्वारा बताया गया कि संतोष सिंह के जानने वाले का फ्लैट गाजियाबाद में सेल हो रहा है, वह फिलहाल मैं खरीद लेता हूं। आपने जो पैसे मुझे दिये हैं, वह समायोजित कर लिया जायेगा और रजिस्ट्री होने के बाद जो बकाया राशि होगी वह धीरे–धीरे वापस कर दीजिएगा। विनीत सिंह द्वारा फ्लैट की रजिस्ट्री पेपर बनवाने के नाम पर एक बार पैसे मंगवाये गये और बाद में वर्ष 2023–24 में बताया गया कि संतोष वाला पेपर पर रजिस्ट्री नहीं हो पायेगा, उसमें कुछ त्रुटि है तो दूसरा पेपर बनवाना पड़ेगा उसके लिये रजिस्ट्री पेपर बनवाने के लिये पैसे भेज दो। करीब दो वर्ष होने को हैं, लेकिन कभी फ्लैट नहीं दिखाया गया और अनगिनत आग्रह के बावजूद कभी रजिस्ट्री का पेपर नहीं दिखाया। इसी दौरान मुझे संतोष सिंह के मैसेज आने लगे कि उनका रिश्ता विनीत सिंह से खराब हो गया। इस सन्दर्भ में विनीत सिंह से बात करने पर यही बताया गया कि डाक्टर साहब विधायक पंकज सिंह के माध्यम से बहुत टार्चर कर रहे है। विनीत सिंह द्वारा कई बार बताया जाता था कि डाक्टर अश्वनी मिश्रा द्वारा भी उनको पैसे से मदद करके एसएसपी0 गौरव ग्रोवर से मदद लेकर बचाया गया है। वर्ष 2022 में मेरे खिलाफ एक ठेकेदार द्वारा झूठा आरोप लगाकर एसीबी दिल्ली में शिकायत कर दिया जाता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान था जिसका जिक्र मैने विनीत सिंह से किया था तो उन्होने इस मामले में संतोष सिंह से जिक्र करने को बताया। मैंने विधायक जी के जरिये बात किया। डाक्टर संतोष द्वारा वर्ष 2023 के शुरूआत में अचानक एक दिन विनीत सिंह का काल आया कि एस के गौतम आईपीएस आपसे बात करें। आगे यह भी कथन किया गया है कि कई बार उधारी लेकर वादी ने गौतम जी को पैसे दिये। कुछ समय बाद विनीत सिंह का मैसेज आता है कि संतोष सिंह बहुत परेशान कर रहे है डाक्टर विवेक मिश्रा जी के करीबी श्री प्रशान्त कुमार सर एडीजी हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मैटर देख लूंगा। आगे यह भी कथन किया गया है कि सब कुछ ठीक बताये जाने के बाद मैंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किये और साथ ही फ्लैट की रजिस्ट्री के लिये निवेदन किया जिसके लिये अलग–अलग समय देकर टाला जा रहा था। उसी दौरान मेरे एसबीआई एकाडन्ट नं0–33591742727 से विनीत सिंह के पास करीब 34 लाख और केनरा बैंक एकाउनट नं0–3009101067777 से करीब 30 लाख से विनीत सिंह एक्सिस बैंक खाता नं0–924010018771527, एचडीएफसी बैंक खाता सं0–50200077293178, पेटीएम बैंक खता नं0–919415310538 और उनकी एक पी0एन0बी0 बैंक, मेरे भ्इया संदीप के खाते सम करीब 3 लाख, मेरे ससुर जी से 5 लाख 3प्रतिशत ब्याज पर करीब 3 साल पहले मेरी पत्नी की ज्वैलरी करीब 39 ग्राम जो मन्नापुरम में 1.46 लाख दिया है, अनुरोध किया कि सभी नम्बर की जांच कर उचित कार्यवाही किया जाये। वादी की उक्त सूचना पर थाना ठूठीबारी, जिला महराजगंज में अपराध सं0–0077/026 धारा 419, 420 भा0दं0सं0 विनीत सिंह, मो0नं0–9555597127 व मो0नं0–8382052144

के धारक के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना इस मामले में धारा–467 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग चार से पांच वर्षो के बाद एक साजिश के तहत राय मशविरा लेकर दर्ज कराया गया है और विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अधिरोपित धारायें आयत नहीं होती हैं। आवेदक लीवर की बीमारी से ग्रसित है तो अन्तिम स्टेज पर चल रहा है। यदि समय रहते उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के पास पुश्तैनी मकान व खेत मौजा बांसपार कोठी थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज में स्थित है। जमानत होने के बाद उसके कहीं भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक अपना स्थानीय जमानतदार देने को तैयार है, अनुरोध किया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तथ्य रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का उच्चाधिकारीगण से कार्य कराने के लिये उसे विश्वास में लेकर फोन–पे, गूगल–पे व ट्रान्जेक्शन के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भिन्न–भिन्न तिथियों में लगभग 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गयी है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। जमानत पर छूटने पर आवेदक के पुनः अपराध में लिप्त होने तथा पलायित होने व अभियोजन साक्षियों को डराने–धमकाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिससे विचारण प्रभावित होगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7– थाना ठूठीबारी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का उच्चाधिकारीगण से कार्य कराने के लिये उसे विश्वास में लेकर फोन–पे, गूगल–पे व ट्रान्जेक्शन के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक भिन्न–भिन्न तिथियों में लगभग 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी किये जाने का तथ्य है।

प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की दोस्ती आवेदक/अभियुक्त के भाई से वर्ष 2009 से रही है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा के विरूद्ध पंजाब में सन् 2022 में शिकायत होने पर उसके विरूद्ध जांच कार्यवाही होना और उसी के सेटिलमेंन्ट के लिये पैसे का लेन–देन होना कहा गया है, वादी द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से उस धनराशि को अपने हित में दिया जाना बताया गया है।

केस डायरी के पर्चा नं0–2 के अनुसार पूर्व डी0जी0पी0 का नाम लेकर पैसा लिया गया। इसी पर्चा के अनुसार 03 आधार कार्ड,

डी0एल0 एवं दो अदद मोबाइल की बरामदगी आवेदक/अभियुक्त के पास से होनी बतायी गयी है परन्तु उक्त कथित बरामदगी का कोई जनता का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है।

प्रस्तुत मामले में घटना का दिनांक 01–01–2020 को होना एवं उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01–01–2026 को लगभग साढ़े छः वर्ष के विलम्ब से दर्ज कराया जाना कहा गया है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि लगभग छः वर्ष से अधिक समय से वादी मुकदमा के द्वारा पैसे के लेन–देन का सम्बन्ध आवेदक/अभियुक्त के साथ रहा है किन्तु इस दौरान वादी मुकदमा के द्वारा कोई शिकायत कहीं पर नहीं की गयी है। उक्त धनराशि वादी द्वारा अपने हित में स्वयं स्वेच्छा से देना बताया गया है और छः वर्ष तक उक्त तथ्य को छिपाने व इतने लम्बे अन्तराल में कहीं पर भी कोई शिकायत वादी द्वारा करना नहीं बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक को दिनांक 03–06–2026 से कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

8– प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

9– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त में से प्रत्येक द्वारा अंकन 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।
और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देंगे।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 12–06–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी06257
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।